संख्या-1 /2024/ ए-2-83 / दस-2024-10-32/1/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ।
3-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2024

विषय: वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन से संबंधित वित्त (लेखा)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3/2023/ए-2-110/दस-2003-24(7)/95, दिनांक 25 अगस्त, 2023 के साथ संलग्न अनुलग्नक में विवरण पत्र--XVI ' भूमि तथा भवन' के माध्यम से राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवासीय भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का (जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से) विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करने का अधिकार प्रतिनिधायन किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय राज्य की निधियों से निर्मित ऐसे आवासीय भवन एवं डाक बंगलें जो निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके है तथा जिनका विक्रय एवं विध्वंस अपरिहार्य हो गया है का जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के अतिरिक्त राज्य की निधियों से निर्मित ऐसे आवासीय भवन एवं डाक बंगलें जो निष्प्रयोज्य घोषित नहीं किये गये है तथा जिन्हें लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-158/2023/993/23-5-23-50 (40) ईजी/08 दिनांक 12 सितम्बर, 2023 के प्रस्तर- 4(ख) में उल्लिखित राज्य सरकार के विभिन्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

विभागों की ऐसी परियोजनाएं/योजनाएं/निर्माण के अन्तर्गत ध्वस्त किया जाना सुनियोजित विकास, सुरक्षा, एफ0ए0आर0 पुनरीक्षण, उपयोग में परिवर्तन अथवा किन्हीं विशिष्ट कारणों से आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। इस प्रकार के आवासीय भवन एवं डाक बंगलों के विध्वंस या विक्रय स्वीकृत किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी (एच0पी0सी0) का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगे:-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,सिंचाई	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, न्याय	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव (विध्वंस /विक्रय से संबंधित प्रशासकीय विभाग)	सदस्य संयोजक

उक्त गठित समिति भवन के औचित्य/ cost benefit analysis के आधार पर भवन के विध्वंस या विक्रय के सम्बन्ध में निर्णय लेगी। उक्त समिति द्वारा यदि ऐसे भवनों के विक्रय या विध्वंस किये जाने का निर्णय लिया जाता है, तो अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन किये जाने हेतु प्राधिकार तदनुसार समझे जायेगे।

4- उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

5- शेष प्राधिकार,जो वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1, द्वितीय संस्करण (यथा संशोधित) एवं वित्तीय प्रतिनिधायन से संबंधित समय-समय पर निर्गत पूर्व आदेशों में उल्लिखित हैं, वे यथावत् रहेंगे।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 1/2024/ए-2- 83 (1) /दस-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश , प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश , प्रयागराज।

4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल , उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

6--अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन।

8- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।

9- अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

10- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।

11- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

12- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

13- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

14- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

15- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,24/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

16- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

17-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 1 /2024/ ए-2- 83 / दस-2024-10-32/1/2024 का अनुलग्नक

विवरण पत्र-XVI 'भूमि तथा भवन'

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 से संबंधित विवरण पत्र की क्रम संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमायें
1	2	3	4
3	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन आवासीय भवनों और डाक बंगलों का जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना।	1- विभागाध्यक्ष	भवनों का विध्वंस एवं विक्रय स्वीकृत करने के मामले में 10.00 लाख रूपये के खाता मूल्य तक कलेक्टर के इस आशय के प्रमाण -पत्र के अधीन कि उन्होंने अपेक्षित जॉच के बाद और अपनी पूरी जानकारी में यह सुनिश्चित कर लिया है कि उक्त भवन की किसी अन्य विभाग को आवश्यकता नहीं है और सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उसे सुविधा पूर्वक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
		2-प्रशासनिक विभाग	10.00 लाख रूपये से अधिक एवं 50.00 लाख रूपये के खाता मूल्य तक। टिप्पणी: - (1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुये) किया जायेगा। (2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (3) जिन प्रकरणों में एक ही परिसर में एक से अधिक भवनों का ध्वस्तीकरण निहित है, उनमें प्रतिनिधायन की उक्त सीमायें ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित उस परिसर में स्थित सभी भवनों के कुल खाता मूल्य पर लागू होगीं।
		3- मुख्य सचिव	50.00 लाख रूपये से अधिक एवं 100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

			लाख रूपये के खाता मूल्य तक। टिप्पणी: - (1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुये) किया जायेगा। (2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (3) जिन प्रकरणों में एक ही परिसर में एक से अधिक भवनों का ध्वस्तीकरण निहित है, उनमें प्रतिनिधायन की उक्त सीमायें ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित उस परिसर में स्थित सभी भवनों के कुल खाता मूल्य पर लागू होगीं।

टिप्पणी:- (1) रूपये100.00 लाख के खाता मूल्य से अधिक के मामलों में मा0 मंत्रि-परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित विध्वंस लोक निर्माण विभाग की विध्वंस /ध्वस्तीकरण नीति के अनुसार किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।